


ऑनलाईन में प्रविष्ट त्रुटीपूर्ण जमाबन्दी में त्रुटीयों का निराकरण हेतु राजस्व उप-निरीक्षक का-प्रतिवेदन।

हल्का न० - VIII

01. आवेदित भूमि खतियान के अनुसार रैयती भूमि है तो रैयत का पूर्ण विवरण	शरीफा नगीरी की नाम है
02. खतियान में दर्ज सभी प्लॉटो की संख्या एवं उसकी कुल रकवा	कुल प्लॉट - 1 रकवा 2.58 ए.
03. ऑनलाईन खतियान इन्ट्री के अनुसार कुल प्लॉटो एवं कुल रकवा का ब्यौरा	-
04. क्या आवेदित भूमि आवेदक के नाम से है या किसी अन्य के नाम से है ?	आवेदक के नाम शरीफा नगीरी के नाम से है
05. यदि आवेदक के नाम से भूमि नहीं है तो आवेदित भूमि किस रैयत से प्राप्त है तथा आवेदक के बीच क्या संबंध है ?	आवेदक को शरीफा नगीरी जहाँ से प्राप्त है
06. आवेदित भूमि का ऑफलाईन पंजी II में जमाबन्दी कब से एवं किस सक्षम पदाधिकारी के आदेश से कायम है ?	2009-10 में जमाबन्दी कायम है
07. आवेदित भूमि का लगान रसीद कब - कब निर्गत हुआ है ?	2009-10, 15-16
08. ऑनलाईन पंजी II में आवेदित भूमि की स्थिति क्या है ?	आवक की ही युवा है। आवक की ही है
09. ऑनलाईन पंजी II में आवेदित भूमि के खाता का कुल रकवा कितना है ?	कुल रकवा 0.64 ए.
10. आवेदित भूमि आवेदक द्वारा उपलब्ध कराये गये भू-दस्तावेज में वर्णित रैयत को भूमि किस आधार पर प्राप्त है ?	शरीफा नगीरी के आधार पर
11. यदि आवेदन में कई खाता सामिल हो तो वैसी स्थिति में खाता वार उपरोक्त वर्णित बिन्दुओं के आधार पर प्रतिवेदन।	खाता 27. आवक 78 रकवा 180

opr/uc/ct
 जॉन्य प्रतिवेदन का
 स. मी. इस्लामि जो
 प. 8 के पृष्ठ सं. 75 में
 खाता 27 के प्लॉट
 जहाँ से भूमि आवेदित
 भूमि है।

गहराज
 पंजी II के प्लॉट
 जहाँ से भूमि आवेदित
 भूमि है।


 राजस्व उप-निरीक्षक

कार्यालय अंचल अधिकारी देवरी।

केश स0 137/19-20
केश का प्रकार :-


आदेश की
क्रम संख्या
एवं तिथि

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश पर
की
कार्रवाई के
बाद
में
दिप्पणी
तारिख
सहित


26/1/19

श्री राजेश कुमार पिता मुंशी गोप ग्राम खसलोडीह थाना देवरी, जिला गिरिडीह के द्वारा एक आवेदन पत्र देकर खाता न0 27 प्लॉट न0 78 रकबा 0.18 डी0 है। प्राप्त आवेदन पत्र पर हल्का कर्मचारी को अंचल निरीक्षक के माध्यम से जाँच प्रतिवेदन की मांग करें साथ ही उभय पक्षों को नोटिश निर्गत करे। कि दिनांक.....को पुर्वाहनबजे अद्योहरथाक्षरी के न्यायालय में सभी राजस्व कागजतो के साथ उपस्थित हो अभिलेख दिनांक 16/1/2020 को रखें।


 अंचल अधिकारी,
 देवरी।

16.01.2020

अभिलेख उपस्थापित। आवेदक उपस्थित। राजस्व उपनिरीक्षक ने अम्मा जाँच प्रतिवेदन में प्रतिवेदन किया है कि लगान रक्षीद जहली देवी के नाम वर्ष 2019-20 तक निर्गत है, जबकि Online में जहली देवी का नाम दर्ज नहीं है। इससे विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। अतः राजस्व उपनिरीक्षक स्पष्ट जाँच प्रतिवेदन देन अभिलेख दिनांक 06.02.2020 को रखें।


 16.1.2020

दिनांक /
 प्राप्तांक /
 प्रतिस्वीकृत : अंचल